



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 21, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत 'उद्योग' की परिभाषा पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय.....	2
2. उर्वरक और तेल उत्पादन घटने से जुलाई 2026 में कोर सेक्टर की वृद्धि दर घटकर 5.4% हुई.....	4
3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रीन एआई डेटा सेंटर के लिए EoI वापस लिया गया.....	6
4. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिणी राज्यों के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत व्यवहार की मांग की	7
5. ओडिशा ने सातकोसिया टाइगर रिजर्व से गांवों के स्थानांतरण की जांच के लिए समिति का गठन किया	9
6. UGC समता नियम पुनर्विचार के अधीन: केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया	11
7. RWA बर्नी बाधा: उच्च आय वाले परिवारों को अपना खर्च डेटा स्वयं संकलित करने की अनुमति दे सकती है सरकार.....	12
8. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय की पीठ को मंजूरी दी	14
9. अंग्रेजी स्वदेशी या विदेशी भाषा? संवैधानिक वैधता की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय तैयार	15
10. भारत और जापान हिंद-प्रशांत की सुरक्षा के लिए समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे.....	17
11. केंद्र के वित्तीय दृष्टिकोण को भू-राजनीतिक और राजस्व जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है.....	18
12. वनशक्ति निर्णय संतुलित और व्यावहारिक है	20



1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत 'उद्योग' की परिभाषा पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **1978 के फैसले के स्थान पर नया दृष्टिकोण:** भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि 'उद्योग' (industry) की 1978 की विस्तृत परिभाषा नई औद्योगिक संबंध संहिता (IRC), 2020 पर लागू नहीं होगी।

- **पूर्व मिसाल को उलटना:** यह फैसला 1978 के *बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम आर. राजप्पा* मामले में स्थापित मिसाल को खारिज करता है, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में श्रम संरक्षण का व्यापक विस्तार किया था।
- **IRC, 2020 की धारा 2(p):** नई औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 2(p) के तहत, 'उद्योग' की व्याख्या अब अतीत के बोझ के बिना, नए सिरे से और पूरी तरह से इसके अपने पाठ और संदर्भ के आधार पर की जाएगी।
- **संशोधित ट्रिपल टेस्ट की भावी प्रयोज्यता:** अदालत ने स्पष्ट किया कि 'परिष्कृत' (refined) ट्रिपल टेस्ट का भावी अनुप्रयोग (prospective application) का अर्थ है कि 1978 के फैसले का ट्रिपल टेस्ट लंबित औद्योगिक विवादों पर लागू होता रहेगा।
- **1978 के फैसले का दायरा:** 1978 के फैसले ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नगर पालिकाओं को 'उद्योग' के दायरे में ला दिया था, जिससे श्रमिकों को व्यापक सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) का अधिकार मिला था।
- **विधायी मंशा की सुरक्षा:** नया फैसला IRC, 2020 की विधायी मंशा की रक्षा करता है, जो कर्मचारी सुरक्षा को प्रशासनिक लचीलेपन और संस्थानों की कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ संतुलित करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **ट्रिपल टेस्ट (1978 ढांचा):** एक न्यायिक परीक्षण जो यह स्थापित करता है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माल या सेवाओं के उत्पादन हेतु नियोक्ता (employer) और कर्मचारी के सहयोग से आयोजित कोई भी व्यवस्थित गतिविधि 'उद्योग' का गठन करती है।
- **औद्योगिक संबंध संहिता (IRC), 2020:** श्रम अनुपालन और विवादों को सुव्यवस्थित करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946, और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को समेकित करने वाला एक आधुनिक श्रम कानून कोड।
- **संप्रभु कार्य (Sovereign Functions):** रक्षा, कानून व्यवस्था और न्याय प्रशासन जैसे राज्य के मुख्य कार्य जो श्रम कानूनों के दायरे से बाहर रहते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(j):** वह ऐतिहासिक प्रावधान जिसके तहत 'उद्योग' की व्यापक न्यायिक व्याख्या मूल रूप से तैयार की गई थी।
- **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 2(p):** अद्यतन वैधानिक परिभाषा जो 'उद्योग' को पुरानी न्यायिक व्याख्याओं से स्वतंत्र रूप से परिभाषित करती है।

- **अनुच्छेद 19(1)(g):** किसी भी पेशे, व्यापार या व्यवसाय को करने के अधिकार की गारंटी देता है, जो आर्थिक स्वतंत्रता को उचित नियमों के साथ संतुलित करता है।
- **अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 39(e):** राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत उचित कार्य स्थितियों, आजीविका और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कार्यकर्ता अधिकारों को शामिल करता है।

निष्कर्ष: सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत में श्रम कानूनों की पाठ्य व्याख्या (textual interpretation) की ओर एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। यह IRC, 2020 जैसे वैधानिक कोडों को ऐतिहासिक न्यायिक विस्तारों से अलग करता है, जबकि लंबित मुकदमों के लिए पुरानी सुरक्षा को बरकरार रखता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** शासन व्यवस्था, वैधानिक निकाय, भारतीय संविधान (न्यायिक मिसालें, शक्तियों का पृथक्करण, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व)।
- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (श्रम सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और औद्योगिक संबंध संहिता के तहत रोजगार संबंध)।

2. उर्वरक और तेल उत्पादन घटने से जुलाई 2026 में कोर सेक्टर की वृद्धि दर घटकर 5.4% हुई

मुख्य बिंदु एवं सारांश

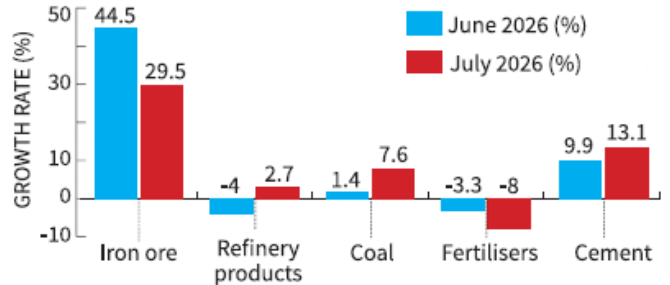
- **कोर सेक्टर की वृद्धि में सुस्ती:** उर्वरक, लौह अयस्क और इस्पात उत्पादन में आई तेज गिरावट के कारण भारत के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों (core sectors) की वृद्धि जुलाई 2026 में घटकर 5.4% रह गई, जो जून में 6% थी।
- **उर्वरक उत्पादन में संकुचन:** अपर्याप्त और असमान मानसूनी बारिश के कारण फसलों की बुआई में कमी आई, जिससे जुलाई 2026 में उर्वरक उत्पादन में 8% का बड़ा संकुचन (contraction) देखा गया, जो जून के 3.3% संकुचन से काफी अधिक है।
- **तेल और गैस क्षेत्रों की स्थिति:** प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के क्षेत्रों में उत्पादन में संकुचन जारी रहा, जबकि जुलाई में इस्पात क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 2.9% रह गई, जो 14 महीनों में इसकी सबसे धीमी विस्तार दर है।
- **सापेक्षिक रूप से तेज वृद्धि:** समग्र मंदी के बावजूद, जुलाई की 5.4% की वृद्धि दर पिछले सात महीनों में दर्ज की गई दूसरी सबसे तेज़ कोर औद्योगिक वृद्धि बनी रही।
- **कोयला क्षेत्र में वृद्धि:** पिछले वर्ष के जुलाई में 12.3% के संकुचन के कारण निम्न आधार प्रभाव (low base effect) का लाभ उठाते हुए, जुलाई 2026 में कोयला क्षेत्र का उत्पादन 7.6% की 11 महीने की उच्चतम वृद्धि दर पर पहुँच गया।
- **सीमेंट उत्पादन में तेजी:** सीमेंट उत्पादन जुलाई 2026 में बढ़कर 13.1% हो गया, जो जून में 9.9% था, जो निर्माण गतिविधियों में निरंतर गति को दर्शाता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **कोर उद्योगों का सूचकांक (ICI):** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा संकलित एक मासिक समष्टि आर्थिक सूचकांक जो प्रमुख बुनियादी उद्योगों के उत्पादन प्रदर्शन को मापता है।
- **आधार प्रभाव (Base Effect):** पिछले वर्ष की इसी अवधि के असाधारण रूप से उच्च या निम्न आंकड़ों से वर्तमान आंकड़ों की तुलना करने पर आर्थिक वृद्धि मेट्रिक्स में उत्पन्न होने वाला विरूपण (distortion)।
- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP):** एक व्यापक आर्थिक सूचकांक जो विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों में अल्पकालिक मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को मापता है।

Sliding down

Core sector growth slowed to 5.4% in July 2026 compared with 6% in June. Iron ore, refinery products see biggest shifts



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 307:** संसद को अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक प्राधिकरण नियुक्त करने का अधिकार देता है, जो समष्टि आर्थिक स्थिरता को राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण से जोड़ता है।
- **सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008:** सरकारी निकायों को औद्योगिक और समष्टि आर्थिक प्रदर्शन डेटा एकत्र करने, संकलित करने और प्रकाशित करने के लिए वैधानिक आधार प्रदान करने वाला कानूनी अधिनियम।
- **भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) को औद्योगिक आंकड़े एकत्र करने और प्रमुख क्षेत्रों की निगरानी करने का जनादेश देता है।

निष्कर्ष: जुलाई 2026 का कोर सेक्टर डेटा एक असमान घरेलू आर्थिक सुधार को उजागर करता है, जो मौसमी मानसून की कमी और अपस्ट्रीम ऊर्जा क्षेत्रों में लगातार संकुचन से प्रभावित है। हालांकि निम्न आधार प्रभाव अस्थायी रूप से इस्पात और उर्वरक जैसे प्रमुख इनपुटों में संरचनात्मक मंदी को छुपाते हैं, लेकिन समग्र औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखने के लिए लक्षित बुनियादी ढांचे के निवेश और स्थिर कृषि मांग की आवश्यकता होगी।

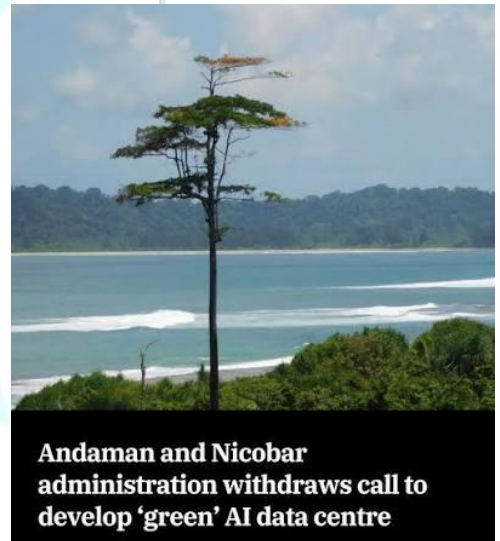
UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय (औद्योगिक नीति, IIP घटक, और कोर सेक्टर गतिशीलता)।
- **GS पेपर III:** मुख्य फसलें, फसल पैटर्न, तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी (मानसून के प्रदर्शन, उर्वरक उत्पादन और कृषि इनपुट उपलब्धता के बीच अंतर्संबंध)।

3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रीन एआई डेटा सेंटर के लिए EoI वापस लिया गया

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **EoI की आकस्मिक वापसी:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले ग्रीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर की स्थापना के लिए व्यवहार्यता प्रस्ताव मांगने वाली रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest - EoI) को अचानक वापस ले लिया है।
- **प्रस्ताव का उद्देश्य:** 10 अगस्त को जारी की गई और अप्रकट प्रशासनिक कारणों से रद्द की गई इस निविदा का उद्देश्य लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप के आसपास ऑफ-शोर और समुद्री डेटा बुनियादी ढांचे को तैनात करना था।
- **जनजातीय अधिकारों पर चिंताएं:** ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थानीय स्वदेशी निकोबारी आबादी को डेटा सेंटर की तैनाती के संबंध में सूचित या परामर्श नहीं किया गया था, जिससे जनजातीय अधिकारों और भूमि उपयोग सहमति पर चिंताएं बढ़ गईं।
- **मास्टर प्लान में विसंगति:** द्वीप के व्यापक बुनियादी ढांचा विकास के लिए जारी मसौदा मास्टर प्लान में ग्रीन एआई या डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल का कोई उल्लेख या एकीकरण नहीं है।
- **पारिस्थितिकी के साथ टकराव:** इस सुविधा के लिए मूल रूप से पहचाने गए समुद्री क्षेत्र संवेदनशील पारिस्थितिकी के साथ ओवरलैप करते हैं, जिसमें गांधी नगर खाड़ी में वन्यजीव गलियारे और एंडरसन खाड़ी के आसपास के कृषि या जैव विविधता वाले क्षेत्र शामिल हैं।
- **व्यापक विरोध प्रदर्शन:** यह वापसी ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए प्रस्तावित ₹91,000 करोड़ की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के खिलाफ निवासियों द्वारा किए जा रहे सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **ग्रीन एआई डेटा सेंटर (Green AI Data Centre):** उच्च-घनत्व कंप्यूटिंग के लिए निर्मित एक डिजिटल प्रोसेसिंग सुविधा जो नवीकरणीय ऊर्जा, कुशल डायरेक्ट-टू-चिप या जलमग्न महासागरीय शीतलन (submerged ocean cooling), और न्यूनतम कार्बन पदचिह्न (carbon footprint) को प्राथमिकता देती है।
- **रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest - EoI):** औपचारिक निविदा शुरू करने से पहले बाजार की रुचि, संस्थागत क्षमता और तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रारंभिक खुली याचिका प्रक्रिया।
- **विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTGs):** जनजातीय समुदाय जिन्हें घटती या स्थिर जनसंख्या, साक्षरता के निम्न स्तर, पूर्व-कृषि प्रौद्योगिकी स्तर और अत्यधिक आर्थिक पिछड़ेपन द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 244 और पांचवीं/छठी अनुसूची के सिद्धांत:** स्वदेशी भूमि, स्वायत्तता और सांस्कृतिक विरासत को बाहरी अतिक्रमण से बचाने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार करता है।
- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006:** गैर-वानिकी विकास के लिए वन भूमि या पारंपरिक जनजातीय आवासों को बदलने से पहले ग्राम सभाओं से अनिवार्य स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति का आदेश देता है।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं CRZ अधिसूचना, 2019:** पर्यावरण क्षरण को रोकने और समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए तटीय क्षेत्रों और द्वीपीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के साथ औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष: डेटा सेंटर प्रस्ताव की अचानक वापसी सीमांत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और स्वदेशी जनजातीय अधिकारों के साथ-साथ नाजुक द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के बीच जटिल व्यापार-नापसंद (trade-offs) को उजागर करती है। आगे बढ़ते हुए, टिकाऊ क्षेत्रीय विकास के लिए पारदर्शी हितधारक जुड़ाव, कठोर पर्यावरण प्रभाव आकलन और वैधानिक जनजातीय सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS PAPER II:** वैधानिक निकाय, संवैधानिक ढांचा और राजव्यवस्था (केंद्र शासित प्रदेशों में शासन मॉडल, अनुसूचित क्षेत्र अधिकार, और अनुच्छेद 244 का अनुपालन)।
- **GS PAPER III:** पर्यावरण, सुरक्षा और विज्ञान व प्रौद्योगिकी (तटीय क्षेत्र विनियमन, बुनियादी ढांचा विकास बनाम पारिस्थितिक संरक्षण, और डिजिटल प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा)।

4. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिणी राज्यों के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत व्यवहार की मांग की

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **राज्य की स्वायत्तता का समर्थन:** ममल्लापुरम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (Southern Zonal Council) की बैठक को संबोधित करते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए निष्पक्ष और न्यायसंगत वित्तीय व्यवहार की वकालत की।
- **जीडीपी योगदान और वित्त आयोग:** उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिणी राज्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 30% से अधिक का योगदान देते हैं और आगामी वित्त आयोग से क्षेत्रीय आर्थिक प्रदर्शन के साथ वित्तीय आवश्यकताओं को संतुलित करने का अनुरोध किया।

- **परिसीमन पर विधायी आश्वासन:** केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए विधायी आश्वासनों की मांग की कि जनगणना के बाद के परिसीमन (delimitation) के दौरान जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी के माध्यम से दंडित न किया जाए।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद:** कावेरी और मुल्लापेरियार जैसे अंतर-राज्यीय नदी प्रबंधन विवादों में तटवर्ती अधिकारों (riparian rights) से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों और न्यायाधिकरण के निर्णयों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया।
- **NEET से छूट की मांग:** राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) से छूट के लिए तमिलनाडु की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया और कक्षा XII के अंकों के आधार पर राज्य के मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की वकालत की।
- **संयुक्त दक्षिणी पहल का प्रस्ताव:** साझा आर्थिक-लॉजिस्टिक्स गलियारों, समुद्री अर्थव्यवस्था एकीकरण, और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ समन्वित अंतर-राज्यीय प्रवर्तन सहित संयुक्त दक्षिणी पहलों का प्रस्ताव रखा।



आवश्यक परिभाषाएं

- **सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism):** एक संरचनात्मक ढांचा जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें सामूहिक राष्ट्रीय उद्देश्यों को संबोधित करने और अंतर-राज्यीय प्रशासनिक या क्षेत्रीय विवादों को हल करने के लिए गतिशील रूप से सहयोग करती हैं।
- **परिसीमन (Delimitation):** आधिकारिक जनगणना आंकड़ों में परिलक्षित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया।
- **वित्तीय हस्तांतरण (Fiscal Devolution):** क्षेत्रीय विकास को सक्षम करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय कर राजस्व और वित्तीय अनुदानों का वैधानिक वितरण और आवंटन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 263:** राष्ट्रपति को अंतर-राज्यीय विवादों और नीतिगत समन्वय की जांच, चर्चा और सलाह देने के लिए अंतर-राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है।
- **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22:** क्षेत्रीय सहयोग के लिए सलाहकार मंचों के रूप में क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) की स्थापना के लिए वैधानिक आधार प्रदान करती है।
- **अनुच्छेद 262:** अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 जैसे संसदीय अधिनियमों के माध्यम से अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन (adjudication) को नियंत्रित करता है।
- **अनुच्छेद 82 एवं अनुच्छेद 170:** प्रत्येक जनगणना के बाद संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन के पुनर्समायोजन को अनिवार्य करता है, जो वर्तमान में 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत स्थगित है।

निष्कर्ष: 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की वार्ता प्रमुख संघीय प्रश्नों को सामने लाती है, जो जनसंख्या नियंत्रण में राज्य के प्रदर्शन को पुरस्कृत करने और न्यायसंगत राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व व वित्तीय वितरण को बनाए रखने के बीच आवश्यक नाजुक संतुलन को रेखांकित करती है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** भारतीय संविधान, राजव्यवस्था और शासन (अंतर-राज्यीय संबंध, अनुच्छेद 263/वैधानिक ढांचे के तहत क्षेत्रीय परिषदें, परिसीमन, और अंतर-राज्यीय जल विवाद)।
- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना एवं राजकोषीय संघवाद से संबंधित मुद्दे (वित्त आयोग हस्तांतरण मानदंड, जीएसटी संरचना, और अंतर-राज्यीय लॉजिस्टिक्स गलियारे)।

5. ओडिशा ने सातकोसिया टाइगर रिजर्व से गांवों के स्थानांतरण की जांच के लिए समिति का गठन किया

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन:** ओडिशा सरकार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है, जो सातकोसिया टाइगर रिजर्व (STR) से गांवों के स्थानांतरण की जांच करेगी।
- **जबरन बेदखली के आरोप:** यह समिति स्थानीय निवासियों के आरोपों के बाद बनाई गई थी कि दशकों तक वन्यजीवों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से रहने के बावजूद उन्हें उनकी पैतृक भूमि से जबरन बेदखल कर दिया गया था।
- **वैधानिक अनुपालन की जांच:** समिति को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के दिशानिर्देशों सहित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को सत्यापित करने का जनादेश दिया गया है।
- **समीक्षा के मुख्य बिंदु:** रायगुड़ा गांव (जिसमें उचित प्रोटोकॉल का पालन किया गया था) को छोड़कर, जांच का मुख्य ध्यान लाभार्थियों की पहचान, बहिष्करण/समावेश त्रुटियों, अंतर-मुआवजे के मूल्यांकन, अधिकारों की बहाली और आजीविका सहायता पर होगा।
- **जवाबदेही तय करना:** समिति को प्रक्रियात्मक अनियमितताओं या उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया है।



- **संरक्षण की गंभीर चुनौतियाँ:** सातकोसिया टाइगर रिजर्व को गंभीर संरक्षण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है; यहाँ बाघों की संख्या 2007 में 12 से घटकर 2018-19 में केवल एक रह गई, और 2022 की जनगणना में शून्य दर्ज की गई।

आवश्यक परिभाषाएं

- **क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट / कोर एरिया (Critical Tiger Habitat):** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत नामित वे क्षेत्र, जिन्हें जनजातीय और वनवासियों के अधिकारों से समझौता किए बिना बाघ संरक्षण के लिए अक्षुण्ण (involute) रखा जाना आवश्यक है।
- **स्वैच्छिक पुनर्वास पैकेज (Voluntary Relocation Package):** वनवासियों को दिए जाने वाले वैधानिक पुनर्वास विकल्प, जिसमें वित्तीय मुआवजा या बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ वैकल्पिक भूमि पुनर्वास शामिल है।
- **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA):** बाघ संरक्षण प्रबंधन के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (धारा 38V):** टाइगर रिजर्व अधिसूचना को विनियमित करता है और आदेश देता है कि कोर क्षेत्रों से स्थानांतरण स्वैच्छिक, सूचित सहमति और तय किए गए वन अधिकारों पर आधारित होना चाहिए।
- **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA):** संरक्षित वन क्षेत्रों से किसी भी संशोधन या पुनर्वास से पहले ग्राम सभा की सहमति और वन अधिकारों की पूर्ण मान्यता को अनिवार्य करता है।
- **अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 48A:** स्वदेशी समुदायों के जीवन और आजीविका के मौलिक अधिकार को पर्यावरण और वन्यजीव पारिस्थितिकी की रक्षा के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ संतुलित करता है।

निष्कर्ष: सातकोसिया टाइगर रिजर्व में गांवों के स्थानांतरण की जांच स्वदेशी अधिकारों के साथ वन्यजीव संरक्षण को संतुलित करने की निरंतर चुनौती को उजागर करती है। जबरन बेदखली को रोकने और टिकाऊ, अधिकार-आधारित संरक्षण रणनीतियों को सुनिश्चित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम और NTCA दिशानिर्देशों के तहत प्रक्रियात्मक अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** शासन, वैधानिक निकाय, और मानव अधिकार (FRA 2006 का कार्यान्वयन, जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा, जवाबदेही तंत्र, और प्रशासनिक अनुपालन)।
- **GS पेपर III:** पर्यावरण, जैव विविधता और संरक्षण (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, NTCA प्रोटोकॉल, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, और मानव-वन्यजीव संघर्ष गतिशीलता)।

6. UGC समता नियम पुनर्विचार के अधीन: केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **नियमों पर पुनर्विचार:** केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 पर पुनर्विचार कर रही है।
- **अंतरिम रोक:** 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित इन समता नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी को रोक लगा दी थी, जिसमें अगले आदेश तक 2012 के नियमों को पुनर्जीवित करने के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया था।
- **अदालती निर्देश:** भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाओं के बैच के संबंध में यूजीसी को चार सप्ताह के भीतर एक व्यापक जवाबी हलफनामा (counter-affidavit) दायर करने को कहा।
- **मुख्य कानूनी चुनौती:** प्राथमिक कानूनी चुनौती विनियमन 3(1)(c) को लक्षित करती है, जो जाति-आधारित भेदभाव को केवल SC, ST और OBC के सदस्यों के खिलाफ जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव के रूप में परिभाषित करता है।
- **याचिकाकर्ताओं की तर्क सामग्री:** याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि विनियमन 3(1)(c) सामान्य श्रेणी के छात्रों और शिक्षकों को जाति-आधारित उत्पीड़न से सुरक्षा से बाहर करता है, जिससे एक असमान वर्गीकरण उत्पन्न होता है।
- **अदालत की चिंताएं:** सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जताई कि 2026 का ढांचा "प्रथम दृष्टया अस्पष्ट" था, इसमें झूठी शिकायतों को दंडित करने के तंत्र का अभाव था, और इसके दायरे से रैगिंग को बाहर रखा गया था।



आवश्यक परिभाषाएं

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC):** UGC अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय, जो भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
- **विनियमन 3(1)(c) [Regulation 3(1)(c)]:** एक विशिष्ट खंड जो जाति-आधारित भेदभाव को केवल SC, ST और OBC समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों के रूप में परिभाषित करता है।
- **समान अवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell - EOC):** उच्च शिक्षण संस्थानों के भीतर एक संस्थागत तंत्र जिसे भेदभाव-विरोधी नीतियों की देखरेख करने और समावेशी शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने का जनादेश दिया गया है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, जो मनमाना वर्गीकरण का निषेध करता है जिसका वैधानिक उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध (rational nexus) न हो।

- **अनुच्छेद 15(1) एवं 15(4):** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर राज्य के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जबकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 142:** सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश पारित करने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है।
- **UGC अधिनियम, 1956 (धारा 12):** आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने, समन्वय करने और मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यों को करने और नियम बनाने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष: 2026 के यूजीसी इक्विटी नियमों की समीक्षा करने का केंद्र का निर्णय अनुच्छेद 14 के तहत कानूनी समानता के औपचारिक सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना सकारात्मक भेदभाव-विरोधी ढांचे का मसौदा तैयार करने की जटिल चुनौती को रेखांकित करता है। समावेशी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए संतुलित, सटीक नियमों की आवश्यकता होती है जो परिसर के सभी हितधारकों को मनमाने दुरुपयोग से बचाते हुए प्रणालीगत नुकसानों को दूर करें।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** भारतीय संविधान और शासन (अनुच्छेद 14 और 15 के तहत मौलिक अधिकार, यूजीसी जैसे वैधानिक नियामक निकाय, न्यायिक समीक्षा, और अनुच्छेद 142 की शक्तियां)।
- **GS पेपर II:** सामाजिक न्याय (शिक्षा, SC/ST/OBC कल्याण, और परिसर समता तंत्र से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे)।

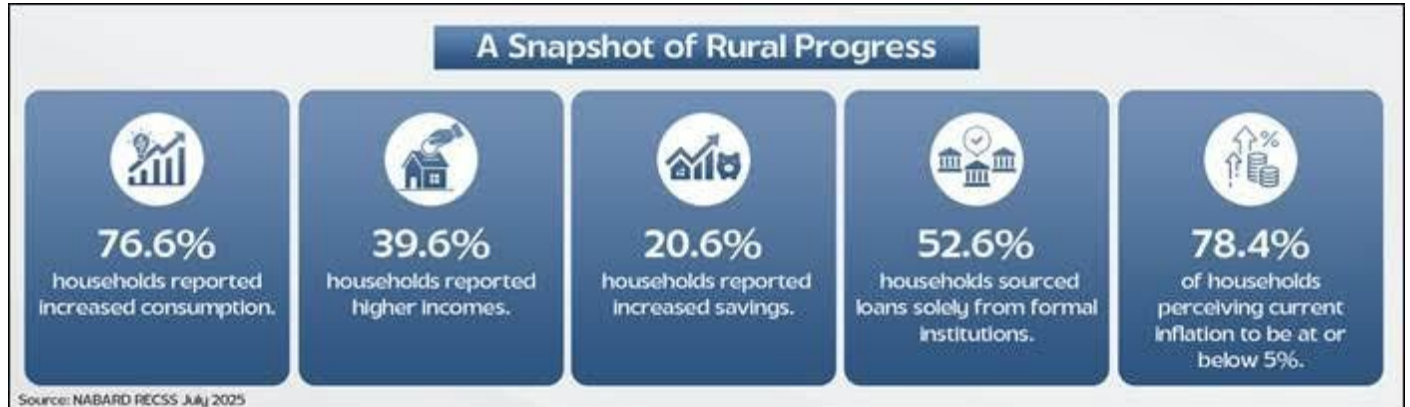
7. RWA बर्नी बाधा: उच्च आय वाले परिवारों को अपना खर्च डेटा स्वयं संकलित करने की अनुमति दे सकती है सरकार

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **डायरी-आधारित डेटा संग्रह की योजना:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) मध्य-2027 से शुरू होने वाले आगामी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) के लिए गेटेड समुदायों (gated communities) में उच्च आय वाले परिवारों के लिए "डायरी-आधारित डेटा संग्रह" (diary-based data collection) अपनाने की योजना बना रहा है।
- **निवासी कल्याण संघों (RWAs) की बाधाएं:** सर्वेक्षण कर्मचारियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले निवासी कल्याण संघों (RWAs) और समृद्ध शहरी परिवारों के बीच बढ़ती गैर-प्रतिक्रिया (non-response) दरों ने MoSPI को स्व-रिपोर्टिंग तंत्र को प्रायोगिक आधार पर शुरू करने के लिए प्रेरित किया है।
- **गैर-प्रतिक्रिया दरों में वृद्धि:** आंकड़ों से पता चलता है कि 75वें NSS दौर में 2.8% की तुलना में 2022-23 HCES में शहरी गैर-प्रतिक्रिया दर तेजी से बढ़कर 9.8% हो गई, जिसमें सबसे समृद्ध शहरी निवासियों के बीच गैर-प्रतिक्रिया दर 11% तक पहुंच गई।
- **डायरी पद्धति की प्रक्रिया:** डायरी पद्धति के तहत, चयनित परिवार ऑनलाइन पोर्टल या लॉगबुक के माध्यम से लेनदेन के समय 405 वस्तुओं और सेवाओं पर अपने मासिक खर्च को दर्ज करेंगे।

- **स्मृति-आधारित त्रुटियों में कमी:** डायरी दृष्टिकोण स्मृति-आधारित "याद करने की त्रुटियों" (recall errors) को कम करता है, जो अक्सर पारंपरिक घर-घर जाकर किए जाने वाले क्षेत्र साक्षात्कारों को प्रभावित करती हैं।
- **कार्यप्रणाली संबंधी चुनौती:** MoSPI को पारंपरिक साक्षात्कारों और स्व-रिपोर्ट की गई ऑनलाइन डायरियों के माध्यम से एकत्र किए गए असमान डेटा सेटों को एक साथ जोड़ने की कार्यप्रणाली संबंधी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

आवश्यक परिभाषाएं



- **घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES):** घरेलू खर्च के पैटर्न का मूल्यांकन करने, गरीबी के अनुमानों की गणना करने और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के भार को समायोजित करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा आयोजित एक पंचवार्षिक सर्वेक्षण।
- **याद करने की त्रुटि (Recall Error):** सर्वेक्षण कार्यप्रणालियों में एक माप पूर्वाग्रह (measurement bias) जो उत्तरदाताओं द्वारा विशिष्ट संदर्भ अवधि में अतीत के व्यय विवरणों को सटीक रूप से याद न रख पाने के कारण होता है।
- **गैर-प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह (Non-Response Bias):** सांख्यिकीय विरूपण जो तब होता है जब सर्वेक्षण में भाग लेने से मना करने वाले या असमर्थ व्यक्ति प्रमुख विशेषताओं में भाग लेने वालों से व्यवस्थित रूप से भिन्न होते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008:** केंद्रीय और राज्य सरकारों को सामाजिक-आर्थिक सांख्यिकी एकत्र करने के लिए सशक्त बनाने वाला और सर्वेक्षण उत्तरदाताओं के लिए डेटा गोपनीयता और सुरक्षा को अनिवार्य करने वाला वैधानिक ढांचा।
- **सांख्यिकी संग्रह (संशोधन) अधिनियम, 2017:** व्यक्तिगत जानकारी के लिए डेटा सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करते हुए प्रशासनिक क्षेत्रों में सांख्यिकीय डेटा संग्रह शक्तियों का विस्तार किया।
- **अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार):** नागरिकों की सूचनात्मक निजता (informational privacy) सुनिश्चित करने वाला संवैधानिक जनादेश, जो सांख्यिकीय संग्रह में स्वैच्छिक डेटा रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल को सूचित करता है।

निष्कर्ष: डायरी-आधारित स्व-रिपोर्टिंग की ओर MoSPI का प्रस्तावित बदलाव शहरी पहुंच की सीमाओं को संबोधित करता है और याद करने की त्रुटि को कम करता है, हालांकि सर्वेक्षण की अखंडता को बनाए रखने के लिए क्षेत्र-सर्वेक्षण किए गए डेटा के साथ स्व-रिपोर्ट किए गए मीट्रिक को एकीकृत करने के लिए कठोर सांख्यिकीय अंशांकन (calibration) की आवश्यकता होती है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने और वृद्धि से संबंधित मुद्दे (राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, CPI संशोधन, गरीबी अनुमान ढांचा, और डेटा गुणवत्ता के मुद्दे)।
- **GS पेपर II:** शासन व्यवस्था और पारदर्शिता (वैधानिक डेटा संग्रह एजेंसियों की भूमिका, सांख्यिकीय साक्ष्यों के आधार पर नीति निर्माण, और आधिकारिक आंकड़ों में जनता का विश्वास)।

8. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय की पीठ को मंजूरी दी

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **उच्च न्यायालय की पीठ को मंजूरी:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ (permanent sitting bench) की स्थापना को मंजूरी दे दी।
- **न्याय तक पहुंच में सुधार:** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित इस कदम का उद्देश्य लद्दाख के भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के लिए न्याय तक पहुंच में महत्वपूर्ण सुधार करना है।
- **सामान्य उच्च न्यायालय का तीसरा स्थान:** नई पीठ सामान्य उच्च न्यायालय का तीसरा स्थान बन गई है, जो वर्तमान में श्रीनगर और जम्मू में मुख्य पीठों से संचालित होती है।
- **ऐतिहासिक कदम के रूप में स्वागत:** लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस फैसले का समय पर न्यायिक वितरण और कानूनी सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में स्वागत किया।
- **स्थानीय बुनियादी ढांचे की मांग:** यह फैसला स्थानीयकृत न्यायिक बुनियादी ढांचे की लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय मांग को पूरा करता है, जिससे मुकदमेबाजों के लिए यात्रा का समय और लागत कम होती है।
- **संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर विचार-विमर्श:** यह घोषणा गृह मंत्रालय और लेह एपेक्स बॉडी तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस सहित स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच संवैधानिक सुरक्षा उपायों के संबंध में चल रहे विचार-विमर्श के साथ हुई है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **उच्च न्यायालय की पीठ (High Court Bench):** एक निर्दिष्ट क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होने वाले मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान से दूर स्थापित उसकी एक स्थायी या सर्किट पीठ।
- **न्याय तक पहुंच (Access to Justice):** एक मौलिक कानूनी सिद्धान्त जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक की न्यायिक मंचों और कानूनी उपचारों तक व्यावहारिक, सस्ती और समयबद्ध पहुंच हो।

- **केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन:** एक प्रशासनिक शासन मॉडल जिसमें केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त उपराज्यपाल के माध्यम से किसी क्षेत्र का सीधे प्रशासन करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 241:** संसद को कानून द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय गठित करने या ऐसे क्षेत्र के किसी न्यायालय को संविधान के सभी या किन्हीं उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय घोषित करने के लिए अधिकृत करता है।
- **अनुच्छेद 214 एवं अनुच्छेद 230:** उच्च न्यायालयों के संगठन को नियंत्रित करता है और संसद को किसी केंद्र शासित प्रदेश पर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने या उसे बाहर करने का अधिकार देता है।
- **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 75:** जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के सामान्य उच्च न्यायालय के लिए वैधानिक आधार प्रदान करती है, जिसमें दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में सुनवाई के प्रावधान शामिल हैं।

निष्कर्ष: लद्दाख में एक उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना न्यायिक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है, जो उच्च न्यायपालिका सेवाओं को सीधे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में लाती है और क्षेत्रीय विकास पहलों के साथ संस्थागत शासन को मजबूत करती है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** भारतीय संविधान, न्यायपालिका और शासन (उच्च न्यायालयों की संरचना और अधिकार क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक पहुंच, अनुच्छेद 241, और अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन)।
- **GS पेपर II:** शासन और संघीय मुद्दे (केंद्र-राज्य/केंद्र शासित प्रदेश संबंध, सीमावर्ती क्षेत्रों में संस्थागत पहुंच, और क्षेत्रीय सुरक्षा उपायों के लिए प्रशासनिक तंत्र)।

9. अंग्रेजी स्वदेशी या विदेशी भाषा? संवैधानिक वैधता की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय तैयार

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **अंग्रेजी के वर्गीकरण पर सवाल:** सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत तैयार की गई सीबीएसई की त्रि-भाषा नीति के तहत अंग्रेजी को "गैर-स्वदेशी" (non-indigenous) या गैर-देशी भाषा के रूप में कानूनी वर्गीकरण पर सवाल उठाया।
- **न्यायिक जांच की आवश्यकता:** भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भारतीय समाज में अंग्रेजी की गहरी ऐतिहासिक जड़ों को देखते हुए, स्कूली पाठ्यक्रमों के तहत इसकी संवैधानिक वैधता न्यायिक जांच की हकदार है।
- **लागू करने को स्थगित करने पर प्रश्न:** अदालत ने सीबीएसई से पूछा कि क्या वर्तमान कक्षा 6 के छात्रों के लिए इसे लागू करने को अगले साल तक के लिए स्थगित किया जा सकता है, जिसमें स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की तैयारी में कमियों का हवाला दिया गया।

- **संवैधानिक स्थिति पर स्पष्टीकरण:** अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने स्पष्ट किया कि अंग्रेजी आधिकारिक संवैधानिक दर्जा रखती है और इसे विशुद्ध रूप से विदेशी भाषा के रूप में नहीं माना जा सकता है, हालांकि यह देशी क्षेत्रीय भाषाओं से अलग है।
- **शब्दावली पर आपत्तियां:** पीठ के सदस्यों ने "देशी" (native) जैसे शब्दों पर आपत्ति व्यक्त की, और सुझाव दिया कि "स्वदेशी" (indigenous) अधिक उपयुक्त है, जबकि चेतावनी दी कि औपनिवेशिक शब्दावली भारत की समकालीन भाषाई वास्तविकताओं को अस्पष्ट करती है।
- **शिक्षकों की कमी की समस्या:** सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई और राज्य बोर्ड के स्कूलों के बीच संरचनात्मक विषमताओं को रेखांकित किया, जिसमें संस्कृत जैसी भाषाओं के लिए बी.एड-योग्य शिक्षकों की भारी कमी पर जोर दिया गया।



आवश्यक परिभाषाएं

- **त्रि-भाषा सूत्र (Three-Language Formula):** भारत में एक मौलिक शैक्षणिक ढांचा जो स्कूली छात्रों को कम से कम दो देशी भारतीय भाषाओं (भारतीय भाषाओं) सहित तीन भाषाएं सीखने के लिए अनिवार्य करता है।
- **राजभाषा (Official Language):** किसी अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रशासनिक, न्यायिक और विधायी कार्यों के लिए संवैधानिक या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट भाषा।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP):** भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्रणालियों के विकास और विनियमन को निर्देशित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक व्यापक नीतिगत ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 343:** देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है, जबकि आधिकारिक प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग की अनुमति देता है।
- **राजभाषा अधिनियम, 1963:** धारा 3 हिंदी के साथ-साथ संघ के आधिकारिक संचार और लेनदेन के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग का प्रावधान करती है।
- **अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30:** शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ-साथ अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 350A:** राज्यों को भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का जनादेश देता है।

निष्कर्ष: सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक जांच राष्ट्रीय शिक्षा सुधारों के तहत देशी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और अंग्रेजी की स्थापित प्रशासनिक तथा सामाजिक भूमिका को स्वीकार करने के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करती है। सुचारू रूप से लागू करने के लिए अनुपालन में देरी और शिक्षक प्रशिक्षण की कमियों को दूर करना आवश्यक बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** भारतीय संविधान और शासन (भाषा नीतियां, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, और राजभाषा प्रावधान)।
- **GS पेपर II:** सामाजिक न्याय और शिक्षा (NEP के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ, शैक्षणिक बुनियादी ढांचा, और स्कूली पाठ्यक्रमों में भाषाई अधिकार)।

10. भारत और जापान हिंद-प्रशांत की सुरक्षा के लिए समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:** भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी समकक्ष शिंजिरो कोइजुमी ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक व्यवस्था ज्ञापन (Memorandum of Arrangement) पर हस्ताक्षर किए।
- **समुद्री संबंधों को मजबूती:** यह समझौता समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA), खोज एवं बचाव (Search and Rescue), और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत (HADR) के क्षेत्रों में भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के बीच संबंधों को मजबूत करता है।
- **स्थिति को बदलने का विरोध:** दोनों देशों ने बल या दबाव के माध्यम से यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयासों का कड़ा विरोध किया और महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई।
- **पोत-मरम्मत और रक्षा उत्पादन:** मंत्रियों ने पारस्परिक पोत-मरम्मत सुविधाओं (reciprocal ship-repair facilities) को आगे बढ़ाने और "मेक इन इंडिया" पहल के तहत भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं का लाभ उठाने पर सहमति व्यक्त की।
- **हिंद-प्रशांत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क:** प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भागीदार देशों की सहायता के लिए 'हिंद-प्रशांत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क' (IPLN) के माध्यम से सहयोग का विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत सितंबर में एक टेबलटॉप अभ्यास निर्धारित किया गया है।
- **द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास:** दोनों पक्षों ने 'धर्म गार्जियन' (सेना), 'जाइमेक्स' (नौसेना), और आगामी 'वीर गार्जियन 26' (वायु सेना) सहित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।



आवश्यक परिभाषाएं

- **समुद्री संचार मार्ग (Sea Lines of Communication - SLOCs):** रणनीतिक वैश्विक बंदरगाहों को जोड़ने वाले व्यापार, लॉजिस्टिक्स और नौसैनिक अभियानों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक समुद्री मार्ग।

- **समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness - MDA):** समुद्री क्षेत्र से जुड़ी किसी भी ऐसी चीज़ की प्रभावी समझ जो सुरक्षा, संरक्षा, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है।
- **हिंद-प्रशांत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क (Indo-Pacific Logistics Network - IPLN):** प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान परिवहन, कर्मियों और मानवीय आपूर्ति के समन्वय के उद्देश्य से एक सहयोगी क्षेत्रीय ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **UNCLOS (समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन), 1982:** प्रादेशिक जल, विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ), और अंतर्राष्ट्रीय जल में नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों को परिभाषित करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है।
- **अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौता (ACSA):** द्विपक्षीय रक्षा लॉजिस्टिक्स समझौता जो भारत और जापान के बीच सैन्य आपूर्ति, सेवाओं और बेस सहायता तक पारस्परिक पहुंच को सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष: समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था जापान पर हस्ताक्षर भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को गहरा करता है। लॉजिस्टिक्स समन्वय, रक्षा सह-उत्पादन और समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सुधार करके, दोनों राष्ट्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत करते हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते (भारत-जापान संबंध, काड ढांचा, सागर दृष्टिकोण, और UNCLOS अनुपालन)।
- **GS पेपर III:** सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन; 'मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा निर्माण की भूमिका और सैन्य लॉजिस्टिक्स साझेदारी।

Dream | Dare | Deliver

11. केंद्र के वित्तीय दृष्टिकोण को भू-राजनीतिक और राजस्व जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **कर राजस्व में धीमी वृद्धि:** महालेखा नियंत्रक (CGA) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2025-26 के कर दर युक्तिकरण के बाद सुस्त व्यक्तिगत आयकर (PIT) और जीएसटी प्राप्तियों के कारण वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1) में केंद्र का सकल कर राजस्व (GTR) केवल 3.7% बढ़ा।
- **उत्पाद शुल्क संग्रह में गिरावट:** पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक संघर्षों और अस्थिर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के कारण खुदरा ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती की गई, जिससे 2026-27 की पहली तिमाही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह में 22.4% का संकुचन हुआ।

- **राजस्व कमी को पूरा करने के उपाय:** कर की कमी को पूरा करने के लिए, सरकार ने 1 फरवरी 2026 से 'स्वास्थ्य सुरक्षा सह राष्ट्रीय सुरक्षा' (HSNS) उपकर पेश किया, ईंधन निर्यात पर अप्रत्याशित करों (windfall taxes) को बढ़ाया, और कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में वृद्धि की।
- **गैर-कर राजस्व और सब्सिडी संभाल:** मजबूत आरबीआई लाभांश हस्तांतरण द्वारा समर्थित गैर-कर राजस्व बफर ने पहली तिमाही में शुद्ध राजस्व प्राप्तियों का 37% योगदान दिया, जिससे प्रमुख सब्सिडी में 37.4% की वृद्धि को सोखने में मदद मिली।
- **राज्यों को कर हस्तांतरण:** राज्यों को पहली तिमाही में दिया जाने वाला कर हस्तांतरण 19.5% तक घट गया, हालांकि कुल आवंटन 16वें वित्त आयोग (FC16) के 41% विभाज्य पूल जनादेश के अनुरूप रहने की उम्मीद है।
- **राजकोषीय घाटा लक्ष्य:** पहली तिमाही का राजकोषीय घाटा वार्षिक बजट लक्ष्य का 18.2% रहा, जिसमें पूरे वर्ष के राजकोषीय घाटे और ऋण-से-जीडीपी अनुपात क्रमशः 4.6% और 55.8% के करीब रहने का अनुमान है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **सकल कर राजस्व (Gross Tax Revenue - GTR):** राज्य सरकारों को वितरित किए जाने वाले कर हस्तांतरण अंशों को घटाने से पहले केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया गया कुल कर संग्रह।
- **अंतर्निहित मूल्य अपस्फीतिकारक (Implicit Price Deflator - IPD):** मुद्रास्फीति का एक व्यापक माप जिसकी गणना नाममात्र (Nominal) GDP से वास्तविक (Real) GDP के अनुपात के रूप में की जाती है, जो पूरी अर्थव्यवस्था में मूल्य समायोजन को दर्शाता है।
- **राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit):** गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में सरकार के कुल व्यय की अधिकता, जो वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की उधार आवश्यकताओं को दर्शाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 270:** वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण को नियंत्रित करता है।
- **अनुच्छेद 271:** संसद को संघ के उद्देश्यों के लिए अधिभार (surcharges) या उपकर (cesses) लगाने का अधिकार देता है, जो राज्यों को वितरित केंद्रीय करों के साझा करने योग्य पूल से बाहर रहते हैं।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** राजकोषीय घाटे को सीमित करने, सार्वजनिक ऋण को नियंत्रित करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए वैधानिक लक्ष्य अनिवार्य करता है।

निष्कर्ष: कर युक्तीकरण और भू-राजनीतिक तेल मूल्य के झटकों से राजस्व में कमी के बावजूद, केंद्रीय वित्त काफी हद तक मजबूत गैर-कर प्राप्तियों और आरबीआई लाभांश द्वारा स्थिर बना हुआ है। दीर्घकालिक राजकोषीय समेकन को बनाए रखने के लिए स्थिर कर उछाल (tax buoyancy) और विवेकपूर्ण सब्सिडी प्रबंधन की आवश्यकता होगी।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि और राजकोषीय संघवाद से संबंधित मुद्दे (GTR रुझान, FRBM अनुपालन, उपकर, और राजकोषीय घाटा लक्ष्य प्रबंधन)।

- **GS पेपर II:** संवैधानिक निकाय और संघीय संबंध (अनुच्छेद 270 हस्तांतरण, 16वां वित्त आयोग ढांचा, और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध)।

12. वनशक्ति निर्णय संतुलित और व्यावहारिक है

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य:** वनशक्ति बनाम भारत संघ (29 जुलाई 2026) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण मंजूरी (EC) नियमों को स्पष्ट किया और दोहराया कि पूर्व पर्यावरण मंजूरी एक अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता बनी हुई है।
- **पिछली अधिसूचनाओं के तहत नियमितीकरण से इनकार:** अदालत ने कहा कि जिन परियोजना समर्थकों ने पूर्व EC के बिना परिचालन शुरू किया था, वे समाप्त हो चुकी 2017 की अधिसूचनाओं या रद्द किए गए 2021 के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के तहत नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकते हैं।
- **कार्यालय ज्ञापन और वैधानिक अधिसूचना में अंतर:** प्रशासनिक कार्यालय ज्ञापनों (जो पूर्व EC जनादेशों को रद्द नहीं कर सकते) और मूल पर्यावरण अधिनियमों के तहत जारी वैधानिक अधिसूचनाओं के बीच एक अंतर स्थापित किया गया था।
- **केंद्र सरकार की वैधानिक शक्ति:** फैसले ने माना कि केंद्र सरकार के पास सार्वजनिक हित में यदि आवश्यक हो तो नया ढांचा तैयार करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत वैधानिक शक्ति बरकरार है।
- **व्यावहारिक समाधान की गुंजाइश:** अदालत ने ध्यान दिया कि भारी निवेश वाली, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य परियोजनाओं के पूर्ण विध्वंस से सार्वजनिक हित सधना कठिन हो सकता है, जिससे एक संरचित वैधानिक समाधान की गुंजाइश बनी रहती है।
- **भावी योजना की शर्तें:** भविष्य की किसी भी संभावित नियमितीकरण योजना को एक सख्त एकमुश्त अवसर के रूप में ही रहना चाहिए, जिसमें व्यापक पर्यावरण क्षति मूल्यांकन, सुधार (remediation) और सख्त मुआवजे की शर्तें शामिल हों।

आवश्यक परिभाषाएं

- **पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearance - EC):** पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना के तहत एक अनिवार्य वैधानिक प्रक्रिया, जिसके तहत परियोजनाओं को निर्माण या संचालन शुरू करने से पहले पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- **कार्योत्तर मंजूरी (Post-Facto Clearance):** पूर्व में पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना संचालन शुरू करने वाली औद्योगिक या विकास परियोजनाओं का कानूनी नियमितीकरण।
- **कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum - OM):** मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक कार्यकारी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक प्रशासनिक निर्देश, जो वैधानिक नियमों या मूल विधायी अधिनियमों का कानूनी रूप से स्थान नहीं ले सकता।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (धारा 3):** केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की वैधानिक शक्ति प्रदान करता है।
- **EIA अधिसूचना, 2006:** निर्दिष्ट विकासात्मक और औद्योगिक श्रेणियों के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी को अनिवार्य करने वाला प्राथमिक वैधानिक ढांचा।
- **अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 48A:** जीवन के मौलिक अधिकार के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ संतुलित करता है।
- **एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle) एवं प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle):** पर्यावरण न्यायशास्त्र के मुख्य सिद्धांत जिनके लिए उल्लंघनकर्ताओं द्वारा पर्यावरणीय जोखिम की रोकथाम और पूर्ण वित्तीय बहाली की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष: वनशक्ति का फैसला मनमाने प्रशासनिक छूटों को रोकते हुए और सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ एक पारदर्शी, एकमुश्त नियामक ढांचे के लिए वैधानिक गुंजाइश को बनाए रखते हुए, आर्थिक व्यावहारिक वास्तविकताओं के साथ पर्यावरण कानून के प्रवर्तन को संतुलित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA मानदंड, वनशक्ति मिसाल, और कार्योत्तर नियमितीकरण न्यायशास्त्र)।
- **GS पेपर II:** वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय; कार्यकारी प्रशासनिक प्रत्यायोजित विधान बनाम वैधानिक अधिसूचनाएं।

